अध्याय-V
स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

5.1 कर प्रशासन

स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस से प्राप्तियाँ भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (भा0स्टा0 अधिनियम), भारतीय निबन्धन अधिनियम, 1908 (भा0नि0 अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है, से विनियमित की जाती हैं। विलेखों के निष्पादन पर उपरोक्त अधिनियमों के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस आरोपणीय है। उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, अनुश्रवण तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक (निबन्धन) (म0नि0नि0), स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं जो निबन्धन कार्य के कार्यान्वयन तथा अधीक्षण कार्य हेतु अधिकृत हैं। उनकी सहायता के लिये क्रमशः जिला स्तर पर 96 सहायक महानिरीक्षक (स0म0नि0) तथा तहसील स्तर पर 354 उप निबन्धक (उ0नि0) होते हैं।

5.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक संगठन के आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है और सामन्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संगठन को स्वयं विश्वस्त कराता है कि निर्धारित प्रणालियां तर्कसंगत तरीके से कार्य कर रही हैं।

यहाँ एक तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ है जो महानिरीक्षक (नि0) के सम्पूर्ण देखरेख में आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य करती है। तकनीकी लेखापरीक्षा के लिए दो अतिरिक्त महानिरीक्षक (नि0) तथा आठ सहायक महानिरीक्षक (नि0) तैनात किए गए हैं।

आन्तरिक लेखापरीक्षा (आ0ले0प0) आयोजना जैसे कि लेखापरीक्षा के लिए आयोजित इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 5.1** मे दर्शाया गया है।

सारणी 5.1

आन्तरिक लेखापरीक्षा

वर्ष	उपलब्ध कुल इकाईयों की संख्या	आयोजित इकाईयों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2010–11	496	237	228	09	3.80
2011–12	496	250	243	07	2.80
2012–13	503	280	267	13	4.64
2013–14	504	309	307	02	0.65
2014–15	504	317	317	00	0.00

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आयोजना अपने लक्ष्य को धीरे धीरे प्राप्त कर रही है। अनुरोध के बावजूद विभाग द्वारा वर्ष के दौरान उठायी गयी एवं निस्तारित आपत्तियों की संख्या तथा सन्निहित धनराशि का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

5.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग ने वर्ष 2014–15 में ₹ 11,803.34 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2014–15 के दौरान विभाग के 424 इकाईयों में से 331 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस आदि के कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 24.10 करोड़ के 1,168 प्रकरण प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि **सारणी 5.2** में दर्शाया गया है।

सारणी 5.2

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	संपत्तियों के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	146	3.67
2.	विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	579	18.35
3.	अन्य अनियमिततायें	443	2.08
	योग	**1,168**	**24.10**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं

वर्ष के दौरान विभाग ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 93 प्रकरणों में ₹ 30.00 लाख के अवनिर्धारण को स्वीकार किया था जिसमें से 26 प्रकरणों में ₹ 3.76 लाख की वसूली की गयी थी। शेष मामलों में विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

अनुपालन में कमी के ₹ 8.70 करोड़ की सन्निहित धनराशि के कुछ निदर्शी मामलों की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी है।

5.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

उप निबन्धकों के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में सम्पत्ति के मूल्य का गलत निर्धारण, पट्टा विलेख के अवनिर्धारण, विलेख पत्र के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण तथा शासनादेशों को विलम्ब से लागू किये जाने के मामले प्रकाश में आये जिसका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। हमारे द्वारा प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की त्रुटियाँ इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं, अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता हैं, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

5.5 आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन

4.45 लाख वर्ग मीटर गैर कृषि भूमि को कृषि दर पर ₹ 40.71 करोड़ में निबन्धित किया गया था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 169.72 करोड़ आगणित होता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.78 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

भा0स्टा0 अधिनियम 1899 की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 23 (उत्तर प्रदेश में इसके लागू किये जाने हेतु यथासंशोधित) के अन्तर्गत किसी हस्तांतरण विलेख पर सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। अग्रेतर महानिरीक्षक निबन्धन ने जून 2003 में जारी दिशा

निर्देशों द्वारा स्पष्ट किया कि स्टाम्प शुल्क के आरोपण के लिये एक ही आराजी की सम्पत्ति को विभिन्न उद्देश्यों के लिये एक से अधिक टुकड़ों यथा एक को कृषि और दूसरे को गैर कृषि में बाँटा नहीं जाना चाहिये।

हमने 331 में से 98 उपनिबन्धक कार्यालयों (उ0नि0का0) के बही एक, खण्ड एवं निबन्धित विलेखों की (अप्रैल 2014 और मार्च 2015 के मध्य) जाँच किया और देखा कि अप्रैल 2013 से जनवरी 2015 के मध्य 194 विक्रय विलेखों में 4.45 लाख वर्ग मीटर गैर कृषि भूमि का निबन्धन कृषि दर पर ₹ 40.71 करोड़ में मूल्यांकित करते हुए पंजीकृत हुऐ थे, एवं ₹ 2.52 करोड़ स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस आरोपित किया गया था। हमने देखा कि उसी आराजी का हिस्सा पूर्व में अथवा उसी दिन आवासीय दर पर बेचा गया और इस प्रकार प्रश्नगत भूखण्ड का मूल्यांकन भी आवासीय दर से किया जाना चाहिए था। आवासीय दर पर उनका सही मूल्यांकन ₹ 169.72 करोड़ आगणित होता है। इस पर ₹ 10.31 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस आरोपणीय था, जबकि केवल ₹ 2.52 करोड़ स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस आरोपित किया गया। इस प्रकार सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस ₹ 7.78 करोड़ का कम आरोपण हुआ जैसा कि विवरण **परिशिष्ट-XVII** में दिया गया है।

हमने मामला विभाग और शासन (जनवरी 2014 और मई 2015 के मध्य) को प्रतिवेदित किया। उत्तर में शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवंबर 2015) और प्रकरणों को सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया। कलेक्टर स्टाम्प ने 15 प्रकरणों में ₹ 71.00 लाख के स्टाम्प शुल्क के कम आरोपण की पुष्टि की और आरोपित किया जिसमें से नौ प्रकरणों में विभाग ने ₹ 15.39 लाख की वसूली की और शेष छः प्रकरणों में विभाग द्वारा वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है।

5.6 भूमि का अवमूल्यांकन

गैर कृषि घोषित 46,615 वर्ग मीटर भूमि को, आवासीय दर ₹ 12.37 करोड़ के स्थान पर कृषि दर पर ₹ 2.63 करोड में निबन्धित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 58.93 लाख के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 143 में प्रावधान है कि जहाँ हस्तान्तरणीय अधिकारों के साथ एक भूमिधर अपने खाते व उसके भाग का कृषि, बागवानी या पशुपालन के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करता है, तो परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर स्वयं या प्रार्थना पत्र पर और ऐसी जाँच करने के पश्चात जो नियत की जाये, उस आशय की घोषणा कर सकता है। अग्रेतर, मुख्य सचिव ने सभी आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 11 जून 2010 द्वारा, इस बात पर जोर दिया कि अगर भूमि पूर्ण या आंशिक रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती है, तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी स्वतः प्रेरणा से उ0प्र0ज0उ0 और भू0सु0 अधिनियम की धारा 143 के अधीन सम्पूर्ण भूमि को आबादी घोषित करें। यदि इस अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत यदि भूमि अकृषि घोषित हुयी थी तो स्टाम्प शुल्क के आरोपण के उद्देश्य से उसका मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाना चाहिए।

हमनें पाँच उ0नि0का0 के बही एक, खण्ड, विक्रय विलेख तथा दर सूची की जाँच की (अप्रैल 2014 और फरवरी 2015 के मध्य) और देखा कि मार्च 2013 से अगस्त 2014 की अवधि में नमूना जाँच किये गये 2,490 में से 11 प्रकरणों में विक्रय विलेखों में सन्निहित 46,615 वर्ग मीटर भूमि कृषि दर पर ₹ 2.63 करोड़ से मूल्यांकित करते हुए

पंजीकृत हुए थे, जिस पर ₹ 17.22 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 1.07 लाख का निबन्धन फीस अदा किया गया था। यह संज्ञान में आया कि इन आराजी संख्याओं को उ0प्र0ज0उ0 और भू0सु0 अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इन विलेखों के पंजीकरण की तिथि से पूर्व ही गैर कृषि भूमि घोषित किया जा चुका था। अतएव आवासीय दर से सम्पत्तियों का मूल्यांकन ₹ 12.37 करोड़ किया जाना अपेक्षित था और आवासीय दर से ₹ 76.12 लाख स्टाम्प शुल्क तथा ₹ 1.10 लाख निबन्धन फीस आरोपणीय था जबकि मात्र ₹ 18.29 लाख स्टाम्प शुल्क एंव निबन्धन फीस आरोपित किया गया। सम्बन्धित उ0नि0 ने दस्तावेजों के पंजीयन के समय इन पहलुओं को ध्यान मे नहीं रखा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 58.93 लाख के स्टाम्प शुल्क एंव निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ। विवरण **परिशिष्ट-XVIII** में इंगित किया गया है।

हमने मामला विभाग और शासन को (अप्रैल 2014 और मई 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवंबर 2015) और प्रकरणों को सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया।

5.7 पट्टा विलेख का अवमूल्यांकन

तीस वर्ष से अधिक के पट्टा विलेखों का मूल्यांकन विक्रय विलेख की भाँति ₹ 2.92 करोड के बजाय ₹ 18.15 लाख मूल्यांकन किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.09 लाख के स्टाम्प शुल्क एंव निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

भा0 स्टा0 अधिनियम के अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 35 के प्रावधानो के अन्तर्गत जहाँ पट्टा 30 वर्ष से अधिक अवधि के लिये या शाश्वत के लिये तात्पर्य हो या किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हो, स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र की भांति प्रभार्य है।

हमने उ0नि0का0 घनघटा और कर्वी के पट्टा अनुबन्धों के अभिलेखों की जाँच की (अक्टूबर 2014 और जनवरी 2015) और देखा कि नमूना जाँच किये गये 740 में से 12,150 वर्ग मीटर भूमि के दो पट्टा विलेख 30 वर्ष से अधिक के लिये निष्पादित किये गये थे। पट्टाग्रहीता द्वारा ₹ 18.15 लाख के मूल्य पर ₹ 1.59 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा ₹ 11,860 का निबन्धन फीस अदा किया गया था। चूँकि पट्टा विलेखों की अवधि 30 वर्ष से अधिक थी, अतः विक्रय विलेख की भाँति विलेख का मूल्यांकन ₹ 2.92 करोड़ किया जाना अपेक्षित था, जिस पर ₹ 14.60 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा ₹ 20,000 का निबन्धन फीस आरोपणीय था। इस प्रकार शासन ₹ 13.01 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा ₹ 8,140 के निबन्धन फीस से वंचित रहा जैसा कि **सारणी 5.3** में दर्शाया गया है:

सारणी 5.3

पट्टा विलेख का अवमूल्यांकन

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	लेखपत्र संख्या व दिनांक	क्षेत्रफल व0 मी0 में	पट्टा अवधि	सम्पत्ति का मूल्य लागू होने योग्य	सम्पत्ति का मूल्य लागू किया गया	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क व निबन्धन फीस	आरोपित स्टाम्प शुल्क व निबन्धन फीस	अन्तर
1	उ नि घनघटा सन्त कबीर नगर	3120 / 19.10.13	2,520	30 वर्ष 1 माह	80,11,800	3,75,000	4,10,600	9,360	4,01,240
2	उ नि कर्वी, चित्रकूट	451 / 27.01.14	9,630	30 वर्ष 1 दिन	2,11,86,000	14,40,000	10,69,300	1,61,620	9,07,680
योग			**12,150**		**2,91,97,800**	**18,15,000**	**14,79,900**	**1,70,980**	**13,08,920**

स्रोतः लेखा परीक्षा की जांच के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामला विभाग और शासन को (नवम्बर 2014 और अप्रैल 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया । उत्तर में शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और प्रकरणों को सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया।

5.8 दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण

विक्रय विलेखों को सुधार पत्र के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया और तदनुसार ₹ 12.56 लाख के स्थान पर ₹ 400 स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस आरोपित हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.55 लाख के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

भा0स्टा0 अधिनियम के अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 34अ में विलेख जिसमें उचित शुल्क अदा किया गया हो में केवल लिपिकीय त्रुटि के सुधार के लिए शुल्क प्रभारित किये जाने का प्रावधान है। भा0 स्टा0 अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक दस्तावेज पर उसमें निर्धारित दरों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य किया जायेगा। एक दस्तावेज को दस्तावेज के लिखतों के आधार पर वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है न कि शीर्षक के आधार पर।

हमने मई 2014 और दिसम्बर 2014 के मध्य दो उ0नि0का0 के सुधार पत्रों की जाँच की और देखा कि नमूना जाँच किये गये 312 विलेखपत्रों में से दो विलेखपत्र उनके शीर्षकों के आधार पर सुधार पत्रों के रूप में वर्गीकृत किये गये थे तथा तदनुसार स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था। इन दस्तावेजों के लिखतों की हमारी जाँच में प्रकाश में आया कि ये दस्तावेज गलत वर्गीकृत थे, क्योंकि दस्तावेजों में विक्रेता/क्रेता के नाम तथा भूमि के क्षेत्रफल में संशोधन किया गया था। अतः इन दस्तावेजों को सुधार पत्र के स्थान पर विक्रय विलेख माना जाना अपेक्षित था तथा ₹ 2.21 करोड़ पर मूल्यांकित किया जाना था जिस पर ₹ 12.56 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस प्रभार योग्य था जिसके विरुद्ध मात्र ₹ 400 स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.55 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ। विवरण **सारणी 5.4** में दिया गया है:

सारणी 5.4

दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण

(धनराशि ₹ लाख में)

क0 सं0	सुधार की प्रकृति	कार्यालय का नाम	विलेखों की संख्या	संपत्ति का क्षेत्रफल (व0मी0में)	सुधार पत्रों की निष्पादन अवधि	सम्पत्ति का कुल मूल्य	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबन्धन फीस	आरोपित स्टाम्प शुल्क	आरोपित निबन्धन फीस	स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	निबन्धन फीस का कम आरोपण
1	क्रेता के नाम में परिवर्तन	उ नि बाह	1	5710	नवम्बर 2013	154.17	7.71	0.10	0.001	0.001	7.71	0.10
2	क्षेत्रफल में परिवर्तन	उ नि I आगरा	1	414.70	सितम्बर 2013	66.36	4.65	0.10	0.001	0.001	4.64	0.10
	योग		**2**	**6124.70**		**220.53**	**12.36**	**0.20**	**0.002**	**0.002**	**12.35**	**0.20**

स्रोतः लेखा परीक्षा की जाँच के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामला विभाग और शासन को (जून 2014 और मई 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और प्रकरणों को सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया।

5.9 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनारोपण

शासकीय आदेशों के विलम्ब से लागू किये जाने के कारण शासन द्वारा अधिसूचित विकसित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण नहीं किया गया।

उ0प्र0श0वि0यो0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, यदि राज्य सरकार की राय में, राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र के लिए योजना के अनुसार विकास करने की आवश्यकता है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस क्षेत्र को विकास क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है और उस क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण कर सकता है।

हमने उ0नि0का0 शाहाबाद हरदोई के विक्रय विलेखों की जाँच की और देखा कि नमूना जाँच किये गये 970 मामलों में से 15 मामलों में, सरकार के राजपत्र विज्ञप्ति दिनांक 07 मई 2004 के द्वारा घोषित विकासशील क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया गया था। इन क्षेत्रों के विकासशील क्षेत्र घोषित होने की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अप्रैल 2013 और अगस्त 2014 के मध्य ₹ 3.26 करोड़ मूल्य के लेखपत्र पंजीकृत किये गये, किन्तु विभाग ने अधिसूचना की उपेक्षा की जो कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि दस वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात आयुक्त स्टाम्प द्वारा दिनांक 13 मार्च 2014 को इस सम्बन्ध में पत्र निर्गत किया। इस प्रकार विभाग इन लिखतों के मूल्य पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपण करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.53 लाख के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनारोपण हुआ।

हमने मामला विभाग और शासन को (मार्च 2015 और मई 2015) प्रतिवेदित किया। उत्तर में शासन ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि राजपत्र विज्ञप्ति और लागू होने के दिनांक की जांच के बाद यदि यह पाया गया कि स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है, तो इसे नियमानुसार प्रभारित किया जायेगा (नवंबर 2015)।